


भा.कृ.अ.प. = भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाईबेरी ऐवन्यु : नई दिल्ली

मि.सं. 16-(13)/2018-19-के.ख.उ.र.अनु

दिनांक: 17.03.2019

परिपत्र

निदेशक, भा.कृ.सा.अ.स. द्वारा लिए गए निर्णयानुसार संस्थान में होने वाली बैठकों/सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/अन्य कार्यक्रमों में क्रेटरिंग सेवा की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत नोट पर निदेशक महोदय की स्वीकृति के पश्चात्, क्रेटरिंग सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में फर्म को नोट की प्रति देने के बाद, स्वीकृत नोट केन्द्रीय खरीद उपकरण रखरखाव अनुभाग को भेजें। फर्म द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक बैठकों/कार्यक्रमों में क्रेटरिंग सेवा प्रदान करने के एवज में बिल अनुभाग को प्रस्तुत करें तथा बिल को अनुभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित करवाने के बाद, मिसिल बिल सहित वित्तीय सहमति/निदेशक महोदय की स्वीकृति हेतु एक ही बार प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रक्रिया से मिसिल सक्षम अधिकारी को बार-बार प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जिससे समय की बचत एवम् फर्म को भुगतान करने में विलम्ब नहीं होगा। यह आदेश 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगा।


17/03/2019

(विजय कुमार)

वारिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(कार्यालय प्रधान)

वितरण :-

1. निदेशक कार्यालय, भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।
2. कार्यालय प्रधान/व.वि.ल.अ. के निजी सहायक, भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।
3. सभी प्रधान पभाग/प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी, पुस्तकालय, भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।
4. समस्त स.प्र.अ./अनुभाग/एकक/यूनिट, भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।
5. कोडिनेटर/प्रभारी, आई.टी.एच., भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।
6. मै.श्री साई इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली को निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशक, भा.कृ.सा.अ.स. की स्वीकृत नोट के आधार क्रेटरिंग सेवा प्रदान करने के पश्चात्, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक स्वीकृत नोट सहित बिल केन्द्रीय खरीद उपकरण रखरखाव अनुभाग को प्रस्तुत करें।
7. मै.प्रौफेशनल ग्रुप, नई दिल्ली को निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशक, भा.कृ.सा.अ.स. की स्वीकृत नोट के आधार क्रेटरिंग सेवा प्रदान करने के पश्चात्, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक स्वीकृत नोट सहित बिल केन्द्रीय खरीद उपकरण रखरखाव अनुभाग को प्रस्तुत करें।
8. समस्त अधिकारी/कर्मचारी को संस्थान वेबसाइट पर सूचनार्थ, भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।
9. सूचना पट्ट, भा.कृ.सा.अ.स., नई दिल्ली।